पत्रांक– 2535 /राज्य कर आयु0, उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/2016–17/दे0दून

कार्यालयः– राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 21, अगस्त, 2017

प्रार्थना पत्र संख्या	–	09/2016–17
द्वारा	–	सर्वश्री आर0सी0 इण्टरप्राइजेज, निर्मला कॉनमेण्ट स्कूल के पीछे, काठगोदाम, हल्द्वानी। टिन नं0– 05009631543
उपस्थिति	–	अनुपस्थित
निर्णय का दिनांक	–	10.08.2017

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री आर0सी0 इण्टरप्राइजेज, निर्मला कॉनमेण्ट स्कूल के पीछे, काठगोदाम, हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें व्यापारी ने Supply of holding clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt तथा supply of brasing clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt पर कर की दर का निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/प्रवर्तन) राज्य कर, हल्द्वानी सम्भाग, हल्द्वानी का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा holding clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt एवं brasing clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt की बिक्री होना बताया गया है जिस पर क्रेता एवं विक्रेता दोनों पर 13.5 प्रतिशत की करदेयता स्वीकार की गई है। स्पष्ट है कि क्रेता विक्रेता द्वारा उक्त वस्तु को अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया है। विक्रयाधीन वस्तु की प्रविष्टि अनुसूची 2ख में नही है। उक्त वस्तु का विक्रय बिना नट बोल्ट के किया जा रहा है। अनुसूची 2ख की प्रविष्टि 75 इस प्रकार है– हार्डवेयर जिसमें नट, बोल्ट, पेंच, कीलें और फास्टनर सम्मिलित है, लेकिन लोहा व इस्पात की तार सम्मिलित नहीं है (Hardware including nuts, bolts, screws, nails and fastners but excluding iron or steel wires) है। उक्त प्रविष्टि प्रार्थना पत्र में उल्लिखित वस्तु का आच्छादन नहीं करती है। आक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हार्डवेयर का आशय–Tools, implement and other items used in homelife and activities such as gardening बताया है। हार्डवेयर का common parlance में भी आशय दरवाजों की कुंडी, कब्जे, स्क्रू इत्यादि से होता है। पूर्व में कमिश्नर बिक्री कर एवं रामनिवास पुष्करदत्त वाद (1971 UPTC413) में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा हार्डवेयर का आशय nut bolts, Hing, Rivets, Latches certain railing window dressing आदि बताया गया है। अतः प्रश्नगत वस्तु की करदेयता 13.5 प्रतिशत निर्धारित किया जाना उचित होगा।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु आवेदक को दि0 15.04.2017, दि0 06.05.2017 तथा दि0 17.06.2017 हेतु नोटिस प्रेषित किये गये परन्तु नियत तिथि को कोई उपस्थित नहीं हुआ तद्नुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एकपक्षीय रूप से

क्रमशः पेज–2 पर

किया जा रहा है। उक्त वस्तुओं holding clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt एवं brasing clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt के सम्बन्ध में ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक / प्रवर्तन) राज्य कर, हल्द्वानी सम्भाग, हल्द्वानी द्वारा व्यक्त किया गया मत कि उक्त वस्तुयें उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 की अनुसूची 2(बी) में विज्ञापित नहीं है, अतः उक्त वस्तुयें अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 13.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होंगी, सर्वथा उचित है। उक्त वस्तुओं के अनुसूची 2(बी) के क्रमांक 75 पर अंकित प्रविष्टि Hardware including nuts, bolts, screws, nails and fastners but excluding iron or steel wires से आच्छादित न होने के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार जो तर्क दिये गये हैं, में भी कोई त्रुटि नहीं है, तद्नुसार उक्त holding clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt एवं brasing clamp of m.s. flat size 50 x 6 mm with nut bolt के उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम–2005 के अनुसूची 2(बी) के क्रमांक–75 एवं अन्य किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण इन वस्तुओं पर कर की दर 13.5 प्रतिशत होना अवधारित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(श्रीधर बाबू अद्दांकी)
आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 2535 / दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, राज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / कशीपुर / रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) राज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / रूड़की / रूद्रपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशान के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) राज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / रूद्रपुर / हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– असिस्टेन्ट कमिश्नर, राज्य कर, खण्ड–2 हल्द्वानी।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त राज्य कर,
उत्तराखण्ड।